बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-1

दूरभाष :
अध्यक्ष : 226623 (R)
महासचिव : 286865 (R), 224771 (O)

अध्यक्ष
वजीन्द्र नारायण सिंह
(डब्लू० एन० सिंह)

महासचिव
गंगाधर लाल दास
(जी० एल० दास)

Truth will Triumph

उपाध्यक्ष
फिराक अहमद
अरुण चन्द्र मिश्र

संयुक्त सचिव
अर्जुन प्रसाद
कृष्ण मुरारी शर्मा

कोषाध्यक्ष
सुरेन्द्र राय
दूरभाष : 223435 (R)

पटना

दिनांक 18.9.03

पत्र संख्या 61

सेवा में,

सचिव,
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग,
बिहार, पटना ।

विषय:- अनुमंडल पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन के लिए निर्धारित आयु-सीमा 50 वर्ष का क्षान्त करने के संबंध में ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक हमारे संघ के पत्रांक 86 दिनांक 30.6.2000 का कृपया निदेश करें। पत्र की प्रतिलिपि भी संलग्न है। उक्त पत्र के द्वारा कार्मिक विभाग से यह अनुरोध किया गया था कि जब 58 से 60 वर्ष के पदाधिकारी जिला अधिकारी का कार्य पूर्ण तत्परता से कर सकते हैं तो 50 वर्ष से अधिक उम्र वालों को अनुमंडल पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित नहीं करने का कोई औचित्य नहीं है।

2. हमारी सेवा के सदस्य जब भारतीय प्रशासनिक सेवा में 54 वर्षों के बाद प्रोन्नत होते हैं तो वे जिलाधिकारी के पद पर पदस्थापित होते हैं, परन्तु वे 50 वर्ष से अधिक हो जाने के कारण अनुमंडल पदाधिकारी के पद के योग्य नहीं हो पाये थे अथवा नहीं रहते हैं। यह कैसी विडम्बना है और सरकार का कैसा न्याय है?

3. सरकार ने बिहार प्रशासनिक सेवा अथवा अन्य सेवा में प्रवेश की उम्र सीमा 35 से 40 वर्ष की कर दी है। प्रोन्नति समय पर कभी नहीं मिल पाती है, जि कारण कनीय प्रवर कोटि में 20 वर्ष से पहले प्रोन्नति मिलना असंभव हो गया है। ऐसी परिस्थिति में कुछ पदाधिकारी को छोड़कर 50 वर्ष से कम उम्र वाले अनुमंडल पदाधिकारी

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-1

दूरभाष :
अध्यक्ष : 226623 (R)
महासचिव : 286865 (R), 224771 (O)

अध्यक्ष
वजीन्द्र नारायण सिंह
(डब्लू० एन० सिंह)
महासचिव
गंगाधर लाल दास
(जी० एल० दास)

उपाध्यक्ष
फिराक अहमद
अरुण चन्द्र मिश्र
संयुक्त सचिव
अर्जुन प्रसाद
कृष्ण मुरारी शर्मा
कोषाध्यक्ष
सुरेन्द्र राय
दूरभाष : 223435 (R)

Truth will Triumph

पटना

दिनांक.......................

पत्र संख्या ....

के पद के लिए अब उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। संघ ने पहले भी सरकार से इस बिन्दु पर पुनर्विचार का अनुरोध किया था और आज भी हम ऐसी आशा से यह अनुरोध करना चाहते हैं कि 50 वर्ष की उम्र सीमा को कृपया क्षान्त किया जाय क्योंकि बिहार प्रशासनिक सेवा के सभी पदाधिकारियों की चाहत अनुमंडल पदाधिकारी अथवा जिला पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित होने की रहती है। जिला पदाधिकारी का पद तो हमारे सदस्यों को लाख प्रयास के बावजूद अभी तक नहीं मिल पाया है पर कम-से-कम अनुमंडल पदाधिकारी के पद पर उन्हें कार्य करने का अवसर तो मिले ।

4. अतः उपरोक्त संदर्भ में हम विनम्रता पूर्व अनुरोध करते हैं कि ऐसा भेद-भाव पूर्ण आदेश को कृपया संशोधित करने की कृपया की जाय जिसके लिए संघ आपका आभार मानेगा ।

विश्वास भाजन

गंगाधर लाल दास
18.9.03

(गंगाधर लाल दास)
महासचिव

(वजीन्द्र नारायण सिंह)
अध्यक्ष